न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 44 / 2021

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

मंजूलता पत्नी श्री हंसमुख जाति परमार, निवासी महावीर बस्ती, तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली

1. विमला पुत्री श्री देवीया पत्नी कान्तिलाल, जाति प्रजापत निवासी मादड़ी हाल निवासी भारून्दा, जिला पाली
2. देवीया पुत्र नरसाजी, जाति प्रजापत निवासी मादड़ी तहसील आहोर जिला जालोर
3. सारकी पत्नी देवीया, जाति प्रजापत निवासी मादड़ी तहसील आहोर जिला जालोर
4. कविता पुत्री देवीया पत्नी सुरेश कुमार जाति निवासी मादड़ी तहसील आहोर जिला जालोर
5. रवीना पुत्री देवीया जाति प्रजापत निवासी मादड़ी तहसील आहोर जिला जालोर नाबालिग वली पिता देवीया पुत्र नरसा
6. काजल पुत्री देवीया जाति प्रजापत निवासी मादड़ी तहसील आहोर जिला जालोर नाबालिग वली पिता देवीया पुत्र नरसा
7. श्रवण पुत्री देवीया जाति प्रजापत निवासी मादड़ी तहसील आहोर जिला जालोर नाबालिग वली पिता देवीया पुत्र नरसा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

8. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार आहोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री चुन्नीलाल पुरोहित अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, रेस्पोडेन्ट्स 01 की ओर से
श्री भगाराम डी. परिहार रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 से 07 की ओर से

–: निर्णय :–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दिनांकः– 28.09.2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व विधिक प्रकरण संख्या 76/2020 बउनवान विमला बनाम देवीया में उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरस्ती रेकर्ड बाबत पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मादड़ी तहसील आहोर के खसरा नम्बर 874/265 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875/265 रकबा 0.64 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि में 1/5 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 देवीया की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ है। रेस्पाडेण्ट संख्या 02 उक्त कृषि भूमि का आगे से आगे हस्तान्तरण करने हेतु आमादा है। तथा उक्त भूमि को अपीलाण्ट को हस्तान्तरण कर दी है व मौके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की स्थिति में परिवर्तन कर रहे है।, साथ ही वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र विरूद्ध अपीलाण्ट इस आशय में प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मादड़ी के खसरा नम्बर 874/265 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875/265 रकबा 0.64 हैक्टेयर आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 01/प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखलदांजी न करे तथा बेचाण हस्तानान्तरण खुर्द–बुर्द न करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को तलब किये अपने आदेश दिनांक 24.09.2020 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील हाजा न्यायालय में पेश की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद हुई उक्त क्रयकर्ता वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय विलेख व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय मे ही चैलेज किया जा सकता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेकर्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य व बिना कब्जे के अभाव में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 उक्त आदेश की आड में अपीलांट की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा मौके पर विवाद कर शांति भंग करना चाहते है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि दोनो पक्षो को सुनकर पुनः सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित करें। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये– *RRD 2017 Page no 732*

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता देवीया को उनके पिता नरसा से विरासत में प्राप्त हुई है, उनके सम्पति में उनके पुत्र/पुत्रियों का बराबर के हकदार है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 उसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि का विधि विरूद्ध रूप से बेचान करने की कोशिश करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नहीं है। जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं? इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथ्य का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात ही होगा, किन्तु इस दरम्यान यदि उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण होता है तथा रेकर्ड एवं मौके की भौतिक प्रस्थिति में परिवर्तन होता है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए–

1996(3) RBJ, 2012(2)RRT 935

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व उद्धरित न्याय दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। जहां तक उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का प्रश्न है तो प्रस्तुत नजीरे अंतिम रूप से निर्णित प्रकरणों के समर्थन में है न कि अंतरिम आदेश से सम्बधित।

जैर अपील आदेश से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरस्ती रेकर्ड बाबत पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मादड़ी तहसील आहोर के खसरा नम्बर 874/265 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875/265 रकबा 0.64 हैक्टेयर आई हुई है। इस कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा देवीया पुत्र नरसा की खातेदारी में दर्ज है। तथा देवीया की पुत्री विमला द्वारा दौराने वाद राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में होने वाले परिवर्तन से रोकने हेतु अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट को जरिये अन्तरिम व्यादेश के पाबन्द किया है। हस्तगत अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है–

आदेश 39 नियम 3

3. Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. a copy of the affidavit filed in support of the application.
2. a copy of the plaint and
3. copies of doucments on which the applicant relies, and

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक 24.09.2020 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, एवं इसमें आगामी सुनवाई की तारीख भी दो माह पश्चात नियत की है, जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 17.08.2021 तक पत्रावली में तलबी भी पूर्ण नहीं हुई। सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानुसार एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण नहीं करने के कारण पत्रावली की आदेशिका में अंकित नही है। एक वर्ष तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं होने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड़ता है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। एवं उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व विधिक प्रकरण संख्या 76/2020 बउनवान विमला बनाम देवीया वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओ की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तद्नुसार उपखण्ड अधिकारी आहोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 76/2020 के संबंध में पक्षकारान को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली